Annexure – XXIV

संख्या : 76 / XXVII(7) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त (सा.नि.–बे.आ.) अनुभाग – 7 दिनांक : 26 दिसम्बर, 2005

विषयः प्रदेश के सभी लोक सूचना अधिकारियों को संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के शुल्क प्राप्त कर रसीद हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप सं: 01 / XXVII(7) / 2005 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 के कम में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल के अर्द्धशासकीय पत्रांकः 51 / मु.सू.आ / 2005 दिनांक 29 नवम्बर 2005 के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 अक्टूबर 2005 के द्वारा वि.नि. संग्रहखण्ड 5 भाग–1 के प्रस्तर–26 के प्रपत्र–1 एवं कोषागार प्रपत्र 385 में शुल्क जमा करने की प्रकिया को ही पुनः उत्तरांचल राजय के विभिन्न विभागों के लिये लागू करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. प्रदेश के विभिन्न विभागों से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क को जमा करने हेतु शुल्क रसीद की प्राप्ति का स्थान, रसीद पुस्तिका के उपलब्धता आदि के विषय में जिज्ञासायें की जा रही हैं अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वि.नि. सं. खण्ड 5 के भाग–1 के प्रस्तर –1 के प्रपत्र 385 में संबंधित कोषागार के द्वारा प्रस्तर–26 में इंगित अधिकारी को रसीद निर्गत की जायेगी। अतः संबंधित कोषागारों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रपत्र – 385 की प्राप्ति की रसीद आवश्यकतानुसार संबंधित आहरण एव वितरण अधिकारी के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को समयबद्ध रूप से उपलब कराया जाना सुनिश्चित करायें और यह भी देख लें कि रसीद बुक की कमी न हो। मुद्रण की निरंतरता बनाये रखी जाय और रसीद बुक को भरने या इसकी प्रविष्टियों के विषय मे जनता अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी को कोई जिज्ञासायें हों तो उनका भी समाधान स्थानीय स्तर पर संबंधित कोषागार द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त निर्देश को प्रदेश के समस्त कोषागार तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से भी परिचालित / निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह रसीद हिन्दी में भी छपवाई जाये।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 76/XXVII(7)/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. शासन के समस्त अनुभाग।
4. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, जो सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन नियुक्त हों।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल
7. समस्त कार्यालयाध्यक्षा एवं आहरण वितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की (हरिद्वार) को 2000 प्रतियां मुद्रण हेतु।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल एकक देहरादून
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(टी.एन. सिंह)
अपर सचिव